संख्या-01/2020/1979/46-1-19-20(03)/2019

प्रेषक,

शिव शंकर द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपने पत्र संख्या-98/लेखा(चीनी)-2019-20, दिनांक 26-12-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के पत्र दिनांक 09-12-2019 के साथ आवश्यक निमार्ण एवं विशेष मरम्मत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर धनराशि रू. 275.512 लाख की कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत 'आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत' मद में उ.प्र. गन्ना शोध परिषद एवं सम्बद्ध शोध केन्द्र/संस्थान हेतु संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से कराने हेतु, उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन/आगणन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्राविधानों के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु, कार्य के सम्मुख निर्दिष्ट कार्यदायी संस्था होगी तथा उन्हें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2011-17(4)/75, 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार सेंटेज चार्जेज (यथा निर्दिष्ट दर से) की धनराशि अनुमन्य होगी।

(2) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को मानक के अनुसार पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, समस्त कर्य वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व अर्थात दिनांक 31.03.2020 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

पूर्व, पूर्ण कराते हुए स्थानीय निरीक्षण आख्या सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संलग्नक में उल्लिखित समस्त कार्यों को, निविदा एवं निर्माण सम्बन्धी सुसंगत नियमों/शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कराये जाने/नियमित अनुश्रवण किये जाने का दायित्व, निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर का होगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2020/1979(1)/46-1-19-20(03)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
3. मुख्य अभियंता, अभियंत्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-01/2020/1979/46-1-19-20(03)/2019, दिनांक 13 जनवरी, 2020 का संलग्नक

(धनराशि रू. लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत प्राक्कलन के आधार पर (लाख रू. में)	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4
क	शाहजहॉपुर)		
1	प्रक्षेत्र की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	50.00	गन्ना विकास विभाग
2	प्रक्षेत्र में सड़क विशेष मरम्मत-1300 मीटर	19.68	गन्ना विकास विभाग
3	सड़क इन्टरलाकिंग-392 मीटर	24.00	गन्ना विकास विभाग
4	फाल्स सीलिंग-डी.पी.सी./पुस्तकालय कक्ष	3.404	सहायक अभियन्ता, गन्ना शोध परिषद
5	खलिहान की विशेष मरम्मत	7.24	सहायक अभियन्ता, गन्ना शोध परिषद
6	प्रशासनिक भवन की विशेष मरम्मत	5.50	गन्ना विकास विभाग
7	गेस्ट हाउस के भूतल की विशेष मरम्मत	5.50	गन्ना विकास विभाग
8	आवासीय भवनों हेतु जल निकासी हेतु नवनिर्मित नालियों को कवर्ड करने हेतु	2.32	सहायक अभियन्ता, गन्ना शोध परिषद
	योग (क)	117.644	
ख	सेंवरही		
1	प्रेक्षत्र की रोड़-इन्टरलाकिंग	25.73	गन्ना विकास विभाग
2	रोड़ लाइट हेतु बड़े पोल एवं आर्मड अण्डर ग्राउण्ड केबिल सहित-10	3.024	गन्ना विकास विभाग
	योग (ख)	28.754	
ग	मुजफ्फरनगर		
1	टाइप-2 आवासीय भवन-1 की विशेष मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	7.63	गन्ना विकास विभाग
2	कीट-कवक लैब व टाइप-3 आवासीय भवन में ब्रिकोबा कार्य	3.906	गन्ना विकास विभाग
3	बाउन्ड्रीवाल की विशेष मरम्मत	14.82	गन्ना विकास विभाग
	योग (ग)	26.356	
घ	गोला-खीरी		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

1	प्रक्षेत्र की वार्ड वायर फैसिंग का कार्य	40.868	गन्ना विकास विभाग
	योग (घ)	40.868	
च	कटया सादात		
1	समरसेविल एवं पम्पहाउस का निर्माण बोरिंग सहित-2	12.80	गन्ना विकास विभाग
	योग (च)	12.80	
	महायोग (क से च)	226.422	

(रूपये चार करोड़ पैंतालिस लाख छब्बीस हजार मात्र)

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है